

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

कमांक प. 7(111)राज/वाद/22 पार्ट-1

जयपुर दिनांक 05/09/2024

::आदेश::

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 (संशोधित नियम 2015) के अन्तर्गत निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में निजी सहायक ग्रेड-1 के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2023-24 व वर्ष 2024-25 की डीपीसी हेतु आयोजित बैठक दिनांक 30.08.2024 में की गई अभिशंषा के अनुसार निम्न सूची के कॉलम सं0 2 में वर्णित निजी सहायकगण ग्रेड-1 को उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं04 में अंकित तिथि से कॉलम सं0 5 में अंकित रनिंग-पे ब्रेण्ड एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल, निजी सहायक ग्रेड-1 के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन कर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-


क.सं.	कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष	रनिंग-पे स्केल एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल
1	2	3	4	5
1	श्री अब्दुल रईस चिश्ती	सामान्य	2023-24 (01.04.2023)	9300-34800 ग्रेड पे-4200 (एल-11)
2	श्री अमित श्रीवास्तव	सामान्य	2023-24 (01.04.2023)	9300-34800 ग्रेड पे-4200 (एल-11)
3	श्री श्रवण कुमार सैनी	ओ.बी.सी.	2023-24 (01.04.2023)	9300-34800 ग्रेड पे-4200 (एल-11)
4	श्री धनराज साहू	ओ.बी.सी.	2023-24 (01.04.2023)	9300-34800 ग्रेड पे-4200 (एल-11)
5	श्री राजेश कुमार	सामान्य	2023-24 (01.04.2023)	9300-34800 ग्रेड पे-4200 (एल-11)
6	श्री रामावतार सैनी	ओ.बी.सी.	2023-24 (01.04.2023)	9300-34800 ग्रेड पे-4200 (एल-11)
7	श्री मुकेश कुमार सैनी	ओ.बी.सी.	2024-25 (01.04.2024)	9300-34800 ग्रेड पे-4200 (एल-11)
8	श्री बजरंग सिंह	ओ.बी.सी.	2024-25 (01.08.2024)	9300-34800 ग्रेड पे-4200 (एल-11)

उक्त कार्मिक अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार कमोन्नत/अवनत मानते हुये कार्यग्रहण कर, अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट अक्टूबर/15 दिवस के भीतर इस विभाग को (जरिये ई-मेल/डाक) प्रेषित करेंगे, अन्यथा इसके अभाव में यह माना जावेगा कि वे पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और उनके द्वारा उक्त पदोन्नति का परित्याग (Forego) माना जावेगा। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा, किन्तु पूर्व में इनके द्वारा प्राप्त किये गये लाभ यथावत रहेंगे। उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

ह.  
(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)
3. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
4. संबंधित जिला कलक्टर-----
5. संबंधित कार्यालय-----
6. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
7. संबंधित कर्मचारी-----
8. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

  
(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि